रजिस्ट्री सं डी एल-33004/99 | REGD NO D L-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 26, 2003/भाद्र 4, 1925
No. 128] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 26, 2003/BHADRA 4, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 21 अगस्त, 2003

सं. टीएएमपी/46/2003-सीएचपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्द्वारा, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार चेन्नई पत्तन न्यास के दरमान की कुछ सशर्तताओं में संशोधन करता है।

अनुसूची

प्रकरण सं टीएएमपी/46/2003-सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) — आवेदक

आदेश

(अगस्त 2003 के 11वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने 5 अक्तूबर 2002 को चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन से संबंधित प्रकरण सं. टीएएमपी/39/2002 में एक आदेश पारित किया था। वह आदेश और सीएचपीटी का संशोधित दरमान भारत के राजपत्र असाधारण (भाग-III, खंड 4) में राजपत्र सं. 229 के माध्यम से 9 अक्तूबर 2002 को अधिसूचित किए गए थे।

2. सीएचपीटी ने अब वर्तमान दरमान की कुछ सशर्तताओं में निम्नलिखित विवरण के अनुसार संशोधन के लिए प्रस्ताव किया है :-

(क) जब पत्तन न्यास के पास उपकरण (क्रेनें) उपलब्ध न हों तब प्राइवेट क्रेनें लगाने पर 10% क्रेनेज की वसूली को शासित करने वाली सशर्तता का विकल्प प्रदान करना।

(i) वर्तमान प्रावधान के अनुसार, यदि पत्तन न्यास के पास क्रेन उपलब्ध नहीं है तो दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों का 10% देय होगा और प्रभार का 10% तब देय नहीं होगा जब क्रेन पत्तन न्यास के पास उपलब्ध तो है किन्तु खराबी, अनुरक्षण आदि के कारण उपयोगकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

(ii) जब पत्तन न्यास के पास उपकरण उपलब्ध नहीं है तब प्राइवेट क्रेने लगाने पर क्रेनेज प्रभार के 10% की वसूली पर, जब पत्तन द्वारा कोई सेवा प्रदान नहीं की जा रही है, तब उपयोगकर्ताओं ने प्रश्न उठाया है ।

(iii) उपयोगकर्ताओं की मांग न्यायोचित है ।

सीएचपीटी ने इसलिए वर्तमान शर्तों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है और प्रस्तावित समाधान नीचे सारणीबद्ध किया गया है :-

वर्तमान	प्रस्तावित
मान-8 नोट (4) पार्टी के अनुरोध पर पत्तन प्रचालनों के लिए प्राइवेट क्रेने लगाने हेतु, दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर, अनुमति दी जाएगी । पार्टियों को अपने उपकरण लाने की अनुमति तब दी जाएगी यदि वे उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध नहीं होंगे। यदि वे उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध तो हैं किन्तु वे, पार्टियों को उनमें आई खराबी के कारण, योजनाबद्ध अनुरक्षण के कारण या अन्यत्र उपयोग किए जाने के कारण उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे है तो तो ऊपर निर्दिष्ट 10% प्रभार वसूला नहीं जाएगा ।	पार्टी के अनुरोध पर पत्तन प्रचालनों के लिए प्राइवेट क्रेनों को दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी । फिर भी,यदि पत्तन न्यास के पास उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नहीं है या उपकरण उपलब्ध तो है किन्तु उनमें खराबी या योजनाबद्ध अनुरक्षण या किसी अन्य पार्टी को भाड़े पर दिए होने के कारण पार्टी को उपलब्ध नहीं कराया जा जा सके तो ऊपर विनिर्दिष्ट 10% प्रभार नहीं लिया जाएगा ।
मान-11 नोट (6) पार्टी के अनुरोध परपत्तन प्रचालनों के लिए प्राइवेट क्रेनें लगाने हेतु, दरमान में, विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी । यदि वे उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध नहीं होंगे तब ही पार्टियों को अपने उपकरण लाने की अनुमति दी जाएगी । यदि उपकरण पत्तन न्यास के पास उपलब्ध तो हैं किन्तु उनमें आई खराबी, योजनाबद्ध अनुरक्षण या किसी अन्य पार्टी को उपलब्ध कराए होने के कारण पार्टी को उपलब्ध नहीं कराये जाते तो ऊपर बताया गया 10% प्रभार नहीं लिया जाएगा ।	

(ख) कार्गो प्रहस्तन के उद्देश्य से उपकरणों को उठाने-रखने के लिए उपयोग में आने वाली बंदरगाह क्रेनों को शासित करने वाली नई शर्तें :-

(i) लंगरभाड़ा प्रभार में कार्गो प्रहस्तन प्रचालन के लिए बंदरगाह की एक क्रेन का भाड़ा प्रभार भी सम्मिलित है । बंदरगाह की ऐसी क्रेन का उपयोग केवल कार्गो के लदान और उतराई के लिए किया जाना है और कार्गो प्रहस्तन उपकरणों के उठाने/रखने जैसे अन्य उपयोग कार्गो प्रहस्तन के दायरे में नहीं आते ।

(ii) उपयोगकर्ताओं को कार्गो प्रहस्तन उपकरणों की लदाई और उतराई के लिए अतिरिक्त बंदरगाह क्रेन भाड़े पर लेनी होंगी ।

(ii) उपयोगकर्ताओं ने कार्गो प्रहस्तन उपकरणों की लदाई और उतराई के लिए अतिरिक्त क्रेन प्रभारों की वसूली पर आपत्ति उठाई है ।

(iii) जैसाकि उपकरणों को बोर्ड से उठाने-रखने से कार्गो प्रहस्तन तेज नहीं होता है, इसे सुप्रचालन-सहायता समझा जाना चाहिए।

(iv) एफएलटी उपकरणों की सेवा की आवश्यकता कार्गो का ढेर लगाने और उसकी काट-छाँट करने के लिए होती है और इसलिए यह पोत-लार्य का आवश्यक भाग बन जाता है जिससे प्रहस्तन तेज होता है।

(v) जब कभी भाड़े पर ली गई बंदरगाह की क्रेनों का उपयोग करके सयंत्र और उपकरण पोत से उतारे और रखे जाते हैं तब उस प्रचालन को कार्गो प्रहस्तन प्रचालन समझा जाता है और अलग से कोई प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए।

4. सीएचपीटी के प्रस्तावों की दरमान में प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ से जाँच-पड़ताल की गई है और निम्नलिखित स्थिति उभरती है :-

(i) सीएचपीटी के प्रस्ताव कोई नई दरें लागू करने के लिए नहीं हैं जिससे उपयोगकर्ताओं पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़े। प्रस्तावित संशोधन प्रचालनीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए और उपयोगकर्ताओं को राहत देने के लिए है।

(ii) इसी कारण प्रशुल्क प्रकरणों को निपटाने हेतु सामान्यतौर पर अपनायी जाने वाली परामर्शी प्रक्रिया छोड़ दी गई है। वर्तमान सशर्तता के अनुसार, जब पत्तन के पास क्रेनें उपलब्ध नहीं होतीं तो दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर उपभोक्ताओं को पत्तन प्रचालन के लिए प्राइवेट क्रेनें लाने की अनुमति है। जब क्रेनें पोर्ट के पास उपलब्ध तो हैं किन्तु अनुरक्षण टूट-फूट आदि कारणों से उपयोगकर्ता को उपलब्ध नहीं करवाई जाती तब 10% प्रभार नहीं लिया जाता है। 10% वसूली की अनुमति देने के पीछे मनशा, पत्तन द्वारा उपकरणों के अपने बेड़े पर किए गए निवेश को सुरक्षा प्रदान करना है। जब पत्तन के पास उपकरण उपलब्ध नहीं हैं तब निवेश की रक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए, प्राधिकरण प्रस्तावित संशोधन को अनुमोदन प्रदान करती है।

(iii) लंगरगाह प्रभार में लंगरगाह के उपयोग के साथ-साथ लंगरगाह की एक क्रेन उपयोग करने का भाड़ा प्रभार भी सम्मिलित है। फिर भी बंदरगाह की क्रेन का उपयोग कार्गो की लदाई और उतराई तक ही सीमित है। कार्गो प्रहस्तन उपकरणों को उठाने-रखने के लिए उपयोगकर्ता को अलग से बंदरगाह क्रेन भाड़े पर लेनी है। पत्तन ने बताना चाहा है कि बोर्ड पर कार्गो प्रहस्तन उपकरण लगाने से कार्गो प्रहस्तन तेज हो जाता है और इस प्रचालन को कार्गो प्रहस्तन प्रचालन समझा जाए और अलग से कोई प्रभार नहीं लगाया जाना चाहिए। पत्तन ने बंदरगाह क्रेनों पर उस प्रभार को हटाने का प्रस्ताव किया है जो उनका उपयोग कार्गो प्रहस्तन उपकरणों को उठाने/रखने के लिए करने पर लगाया जाता है। इस प्रकार उपयोगकर्ताओं की माँग से पत्तन भी सहमत है। यह प्राधिकरण को इस प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान करने में कोई संकोच नहीं है।

5. परिणामस्वरूप तथा ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण सीएचपीटी के दरमान में निम्नलिखित संशोधनों को अनुमोदन प्रदान करता है :-

(i) मान सं. 8 और मान सं. 11 के क्रमशः नोट सं. (4) और नोट सं. (6) के अधीन वर्तमान शर्तों के स्थान पर क्रमशः निम्नलिखित शर्तें आ जाएंगी।

"पार्टी के अनुरोध पर पत्तन प्रचालनों के लिए प्राइवेट क्रेनों को दरमान में विनिर्दिष्ट प्रभारों के 10% के भुगतान पर अनुमति दी जाएगी। तथापि, यदि पत्तन न्यास के पास उपयुक्त उपकरण उपलब्ध नहीं है या जब कभी उपयुक्त उपकरण उपलब्ध तो है पर उनके खराब हो जाने के कारण या योजनाबद्ध अनुरक्षण के कारण या किसी अन्य पार्टी को भाड़े पर दिए होने के कारण पार्टी को उपलब्ध नहीं करवाए जा सकें तो ऊपर विनिर्दिष्ट 10% प्रभार नहीं लिया जाएगा।"

(ii) अध्याय-III मान -9 के अधीन निम्नलिखित प्रावधान नोट के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं :-

नोट सं.1. किसी भी सयंत्र या उपकरण के उठाए या रखे जाने पर, जो पोत से/में कार्गो के लदान या उतराई की प्रक्रिया में सहायक हो, अलग से प्रभार नहीं लगाया जाएगा बशर्ते वह प्रभार पहली क्रेन के मामले में लंगरगाह प्रभारों में वसूल कर लिया गया हो या अतिरिक्त क्रेन के मामले में अलग से लगाया गया हो।

नोट सं. 2. तथापि, कार्गो प्रहस्तन प्रचालनों से असम्बद्ध किए गए कार्य पर, जिसमें बंदरगाह की क्रेनों का उपयोग किया गया हो, दरमान के अनुसार प्रति पाली / आधी पाली के आधार पर आवश्यक प्रभार लगाए / वसूले जाते रहेंगे।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/143/03]